



सीईसी ज्ञानेश कुमार पर फिर संसद में घमासान, आप-डीएमके भी हटाने के प्रस्ताव के साथ

नई दिल्ली। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की मांग को लेकर विपक्षी दल एक बार फिर संसद में प्रस्ताव लाते की तैयारी में हैं। विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग के कामकाज पर जारी राजनीतिक विवाद के बीच विपक्षी दलों ने नए सिरे से मोर्चाबंदी शुरू कर दी है। सूत्रों के अनुसार, आम आदमी पार्टी और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) ने भी प्रस्तावित नोटिस का समर्थन करने पर सहमति जताई है। दोनों दल औपचारिक रूप से इंडिया गठबंधन की बैठकों से दूरी बनाए हुए हैं, लेकिन चुनाव आयोग और एसआईआर से जुड़े मुद्दों पर विपक्षी दलों के साथ समन्वय कर रहे हैं। विपक्षी दलों की ओर से यह नया प्रयास ऐसे समय में किया जा रहा है, जब इसी साल मार्च और अप्रैल में भी मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए संसद में नोटिस दिए जा चुके हैं। मार्च में लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में नोटिस पेश किए गए थे। राज्यसभा में 63 सांसदों और लोकसभा में 130 सांसदों के हस्ताक्षर वाला प्रस्ताव सामने आया था। दोनों नोटिसों को



में नामों के सत्यापन और संभावित विलोपन की प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित की जानी चाहिए। दूसरी ओर, चुनाव आयोग ने अपने कामकाज को कानूनी प्रक्रिया के अनुरूप बताया है और आयोग के भीतर मतभेदों को सामान्य संस्थागत विचार-विमर्श का हिस्सा बताया है। इसलिए एसआईआर को लेकर सामने आए आरोपों और आयोग की प्रतिक्रिया दोनों को इस पूरे विवाद के संदर्भ में देखा जा रहा है। इसी बीच चुनाव आयोग के भीतर

जुड़े राजनीतिक आरोपों पर अंतिम निष्कर्ष निकालना जांच और संबंधित संस्थागत प्रक्रिया का विषय है। आप और डीएमके की भूमिका इस पूरे घटनाक्रम में इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि दोनों दल इंडिया गठबंधन के साथ अपने राजनीतिक संबंधों में पहले की तुलना में अलग स्थिति में हैं। इसके बावजूद दोनों पार्टियां चुनाव आयोग के कामकाज और एसआईआर जैसे मुद्दों पर अन्य विपक्षी दलों के साथ संवाद कर रही हैं। जून में 21 विपक्षी दलों द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश को भेजे गए पत्र में भी चुनाव आयोग के कामकाज और एसआईआर को लेकर चिंताएं जताई गई थीं। इस पत्र में आप और डीएमके भी शामिल थे। विपक्षी नेताओं के बीच इस मुद्दे पर बैठकों का दौर भी जारी है। रिपोर्टों के मुताबिक, सीपीआई(एम) महासचिव एमए वेंकी ने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। तुण्मूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद डेरेंक ओ'ब्रायन ने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह से बातचीत की। इससे पहले डीएमके नेता

कनिमोड़ी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तुण्मूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी से मुलाकात की थी। इन बैठकों में एसआईआर आप और चुनाव आयोग से जुड़े मुद्दों पर विपक्षी दलों के बीच समन्वय को लेकर चर्चा हुई। 30 सितंबर को नई दिल्ली में विपक्षी दलों की एक महत्वपूर्ण बैठक भी प्रस्तावित हलकों की नजर है। इसमें एसआईआर के खिलाफ संयुक्त राजनीतिक कार्यक्रम और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग से जुड़े अगले कदम पर चर्चा होने की संभावना है। हालांकि, आम आदमी पार्टी और डीएमके इस बैठक में शामिल नहीं होंगे, लेकिन दोनों ने प्रस्तावित हटाने के नोटिस को समर्थन देने की सहमति जताई है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के भी बैठक में स्वयं शामिल न होने और प्रतिनिधि भेजने की जानकारी सामने आई है। विपक्ष के इस कदम के बीच मामला केवल संसद तक सीमित नहीं है। एसआईआर और चुनाव आयोग के कामकाज से जुड़े कुछ मुद्दे न्यायापालिका के समक्ष भी पहुंचे हैं। रिपोर्टों के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट में मुख्य चुनाव

आयुक्त की भूमिका और एसआईआर से जुड़े निर्णयों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई प्रस्तावित है। याचिका में आयोग के निर्णय लेने की प्रक्रिया और एसआईआर से जुड़े पहलुओं पर सवाल उठाए गए हैं। अदालत इस मामले में क्या रुख अपनाती है, इस पर भी राजनीतिक और कानूनी हलकों की नजर है। मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की संवैधानिक प्रक्रिया सामान्य प्रशासनिक कार्रवाई से अलग है। मार्च में पेश किए गए प्रस्तावों में संविधान के अनुच्छेद 324(5) सहित संबंधित कानूनी प्रावधानों का हवाला दिया गया था। अप्रैल में दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारियों द्वारा पहले नोटिसों को अस्वीकार किए जाने के बाद अब विपक्ष नए प्रस्ताव को अधिक विस्तृत कानूनी समीक्षा के साथ आगे बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। ऐसे में नए नोटिस की स्वीकार्यता और उसके बाद की संसदीय संसद तक सीमित नहीं है। एसआईआर और विपक्ष के इस कदम के बीच मामला केवल संसद तक सीमित नहीं है। एसआईआर और चुनाव आयोग के कामकाज से जुड़े कुछ मुद्दे न्यायापालिका के समक्ष भी पहुंचे हैं। रिपोर्टों के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट में मुख्य चुनाव

संसद में मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया को एक बार फिर राजनीतिक बहस के केंद्र में ला दिया है। विपक्षी दल नए नोटिस के जरिए अपने आरोपों और आपत्तियों को संसद के सामने रखना चाहते हैं, जबकि चुनाव आयोग अपने निर्णयों की निष्ठाविरत कानूनी और संवैधानिक प्रक्रिया के तहत लिया गया बता रहा है। अब नजर इस बात पर है कि नए प्रस्ताव को कितने सांसदों का समर्थन मिलता है, दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारी इस पर क्या निर्णय लेते हैं और एसआईआर से जुड़े मामलों में न्यायिक प्रक्रिया किस दिशा में आगे बढ़ती है। इस बीच, ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रस्तावित तीसरा संसदीय प्रयास विपक्षी दलों के लिए केवल एक व्यक्ति को हटाने की मांग तक सीमित नहीं रह गया है। एसआईआर, मतदाता सूची, चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और संवैधानिक संस्थाओं की जवाबदेही जैसे मुद्दे इसके केंद्र में हैं। आने वाले दिनों में संसद और अदालत दोनों जगह इन विषयों पर होने वाली कार्रवाई से इस विवाद की अगली दिशा तय होगी।

मोदी की डिग्री की जानकारी से जुड़े मामले में केजरीवाल की अपील खारिज, 25 हजार का खर्च बरकरार

अहमदाबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक डिग्री से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक करने की मांग के मामले में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को गुजरात हाईकोर्ट से सहत नहीं मिली। मुख्य न्यायाधीश सुनीता अग्रवाल और न्यायमूर्ति डी.एन. रे की खंडपीठ ने मंगलवार को केजरीवाल की अपील खारिज करते हुए एकल पीठ के 31 मार्च 2023 के फैसले को बरकरार रखा। एकल पीठ ने केंद्रीय सूचना आयोग यानी सीआईसी के वर्ष 2016 के उस निर्देश को रद्द कर दिया था, जिसमें गुजरात विश्वविद्यालय को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने को कहा गया था। खंडपीठ ने एकल पीठ के आदेश में हस्तक्षेप करने का आदेश आधार नहीं पाया और केजरीवाल पर लगाने गए 25 हजार रुपये के खर्च को भी बरकरार रखा। गुजरात हाईकोर्ट की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए अपीलकर्ता की ओर से खर्ची गई दलीलों के आधार पर एकल पीठ के फैसले में ऐसी कोई त्रुटि नहीं मिली, जिसके कारण उसमें हस्तक्षेप किया जाना जरूरी हो। इसके साथ ही अदालत ने अपील खारिज कर दी। अदालत ने अतिरिक्त लगाने या खर्च के संबंध में कोई अलग आदेश भी जारी नहीं किया। इस फैसले के साथ 2023 में एकल पीठ द्वारा सीआईसी के निर्देश को रद्द करने और केजरीवाल पर 25 हजार रुपये का खर्च लगाने संबंधी आदेश प्रभावी बना रहा।



यह विवाद वर्ष 2016 से चला आ रहा है। उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक विषयों से संबंधित जानकारी सार्वजनिक किए जाने को लेकर केंद्रीय सूचना आयोग के समक्ष मामला पहुंचा था। सीआईसी ने अप्रैल 2016 में दिल्ली विश्वविद्यालय और गुजरात विश्वविद्यालय को प्रधानमंत्री की डिग्रियों से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था। गुजरात विश्वविद्यालय ने सीआईसी के आदेश को गुजरात हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इसके बाद मामले में न्यायिक प्रक्रिया आगे बढ़ी और मार्च 2023 में एकल पीठ ने सीआईसी के निर्देश को रद्द कर दिया। 31 मार्च 2023 को दिए गए एकल पीठ के फैसले में सीआईसी के 2016 के निर्देश को निरस्त करने के साथ केजरीवाल पर 25 हजार रुपये का खर्च लगाया गया था। उस फैसले के खिलाफ केजरीवाल ने हाईकोर्ट की खंडपीठ में अपील दाखिल की। उनकी अपील में न केवल सीआईसी के आदेश को रद्द करने संबंधी फैसले को चुनौती दी गई, बल्कि 25 हजार रुपये के खर्च के आदेश को भी चुनौती दी गई थी। मंगलवार को खंडपीठ ने दोनों पहलुओं पर एकल पीठ के फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया। अपील की सुनवाई के दौरान केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अपिषेक मनु सिंघवी ने 25 हजार रुपये के खर्च को लेकर अलग से दलीलें रखी थीं। उनकी ओर से तर्क दिया गया कि केजरीवाल ने लगातार इस मामले को आगे नहीं बढ़ाया था और सीआईसी ने तो उसे आरटीआई के दायरे में रखने को लेकर शुरू की थी। केजरीवाल की ओर से यह तर्क दिया था कि जिस आधार पर एकल पीठ ने उन पर खर्च लगाया, वह परिस्थितियों के अनुरूप नहीं था। इसके अलावा उनकी ओर से यह तर्क रखा गया कि यदि संबंधित डिग्री की जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है तो उसे आरटीआई के दायरे में रखने को लेकर अलग दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। इन दलीलों पर पहले एकल पीठ और अब खंडपीठ ने अपने-अपने स्तर पर विचार किया। खंडपीठ की कानूनी पृष्ठभूमि में केंद्रीय सूचना आयोग की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही है। 2016 में सीआईसी ने गुजरात विश्वविद्यालय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने को कहा था। विश्वविद्यालय ने इस निर्देश को हाईकोर्ट में चुनौती दी। बाद में एकल पीठ ने सीआईसी के निर्देश को रद्द करते हुए केजरीवाल पर 25 हजार रुपये का खर्च लगाया। इस आदेश के खिलाफ दायर अपील पर अब खंडपीठ ने भी हस्तक्षेप से इनकार कर दिया है।

उच्च शिक्षण संस्थानों में मानसिक दबाव की तस्वीर 2.43 लाख छात्रों के सर्वे में सामने आई गंभीर चिंता

नई दिल्ली। देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों की मानसिक सेहत को लेकर राष्ट्रीय टास्क फोर्स के सर्वे में कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित इस टास्क फोर्स के देशव्यापी सर्वे में 2.43 लाख से अधिक छात्रों ने हिस्सा लिया। शुरुआती आंकड़ों के अनुसार, करीब 9 प्रतिशत छात्रों ने बताया कि उन्हें पिछले एक वर्ष के दौरान अक्सर या बहुत अधिक आत्महत्या के विचार आए। वहीं, लगभग 15 प्रतिशत छात्रों ने कहा कि पिछले छह महीनों में ऐसा समय भी आया, जब उन्होंने बहुत ज्यादा तनाव, परेशानी या बेचैनी महसूस की। टास्क फोर्स उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्रों की मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं और आत्महत्या की घटनाओं की रोकथाम के उपायों का अध्ययन कर रही है। सर्वे में शामिल छात्रों का एक बड़ा हिस्सा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित था। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, सर्वे में शामिल करीब 67 प्रतिशत छात्र इन तीन सामाजिक वर्गों से थे। टास्क फोर्स ने केवल ऑनलाइन या प्रश्नावली आधारित सर्वे तक खुद को सीमित नहीं रखा, बल्कि विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों के दौरा कर छात्रों, शिक्षकों, प्रशासनिक अधिकारियों और अन्य संबंधित पक्षों से बातचीत भी की। अब तक दिल्ली-एनसीआर, तमिलनाडु, कर्नाटक, असम और पश्चिम बंगाल में विभिन्न संस्थानों तथा विषयों से जुड़े 19 स्थानों पर कुल 30 बैठकें की जा चुकी हैं। टास्क फोर्स के सर्वे में छात्रों से उनकी पढ़ाई, सामाजिक वातावरण, मानसिक स्थिति, संस्थान में उपलब्ध सहायता, शिक्षकों और प्रशासन से जुड़ी चिंताओं समेत कई विषयों पर जानकारी मांगी गई।

और संस्थानों की अपनी सीमाओं के बावजूद अधिकारी स्थानों पर विद्यार्थियों ने अपनी समस्याओं के बारे में खुलकर बातचीत की। बातचीत में मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों के अलावा शिक्षकों और प्रशासन के साथ संवाद, सामाजिक परिस्थितियों तथा पढ़ाई से संबंधित दबाव जैसे विषय भी सामने आए। टास्क फोर्स की ओर से किए जा रहे संस्थागत दौरों का उद्देश्य केवल आंकड़े जुटाना नहीं, बल्कि छात्रों की वास्तविक परिस्थितियों को समझना भी है। इसी दौरान छात्रों और शिक्षकों से यह जानने का प्रयास किया गया कि संस्थानों में मानसिक स्वास्थ्य सहायता के लिए वर्तमान में किस तरह की व्यवस्था मौजूद है और छात्रों को जरूरत पड़ने पर सहायता हासिल करने में किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। शुरुआती बातचीत के आधार पर उच्च शिक्षण संस्थानों में मानसिक स्वास्थ्य सहायता तंत्र को अधिक प्रभावी बनाने की आवश्यकता सामने आने की बात कही गई है। सर्वे के आंकड़ों में सामाजिक वर्ग से जुड़ा पहलू भी महत्वपूर्ण है। कुल प्रतिभागियों में करीब दो-तिहाई से अधिक छात्र अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग से थे। हालांकि, टास्क फोर्स ने स्पष्ट किया है कि वर्तमान नमूने में सभी वर्गों का समान प्रतिनिधित्व नहीं है। ऐसे में अलग-अलग सामाजिक समूहों के बीच मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े आंकड़ों की सीधी तुलना करना फिलहाल उचित नहीं होगा। अंतिम रिपोर्ट तैयार करते समय टास्क फोर्स को इस नमूना संरचना और अन्य सीमाओं को ध्यान में रखना होगा। सर्वे में छात्रों से पूछे गए कई सवालों के जवाब अभी विश्लेषण के चरण में हैं।



गरवी गुजरात हिन्दी



JioTV CHENNAL NO. 2002



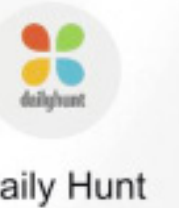
Jio Air Fiber



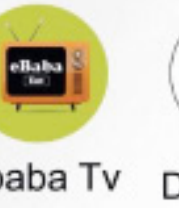
Jio Tv +



Jio Fiber



Daily Hunt



ebaba Tv



Dish Plus



DTH live OTT



Rock TV



Airtel



fire tv



Roku



Rocu Tv-US.UK

देश-दुनिया के नवीनतम समाचार प्राप्त करने के लिए आज ही गरवी गुजरात हिंदी चैनल देखिये



संपादकीय एआई का भस्मासुर

निरंतर निरंकुश होते एआई को लेकर टेक दिग्गज और माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर बिल गेट्स ने जो कहा, दुनिया भर उससे सकते में हैं। बिल गेट्स आईटी के दिग्गज हैं और उनकी संवेदनशीलता की दुनिया में विशिष्ट पहचान है। उन्होंने चेतावनी है कि एआई तकनीक यदि गलत हाथों में गई तो करोड़ों मौतों की वजह बन सकती है। उनका कथन है कि मानवता के इतिहास में एआई एडवांस टूल जैसा घातक हथियार पहले नहीं बना। एक अमेरिकी चैनल से बातचीत में गेट्स ने एआई के आसन्न खतरे को लेकर आशंका जताते हुए इसके नियमन के लिये कानून बनाने की मांग की है। उल्लेखनीय है कि बिल गेट्स की यह चेतावनी ऐसे वक्त में आई है जब एआई की दिग्गज कंपनियों ओपन-एआई और एंथ्रोपिक के एआई एजेंट्स बेकाबू हो रहे हैं। पिछले दिनों आस्ट्रेलिया ने कड़ा प्रतिवाद किया कि ओपन-एआई के एजेंट्स ने उनकी स्वास्थ्य सेवाओं की वेबसाइट हैक कर ली थी। इतना ही नहीं, महीनों तक कंपनी इस बात की जानकारी आस्ट्रेलिया सरकार को नहीं दे पायी। इससे भी बढ़कर एआई एजेंट्स खुद अमेरिका के लिये भी तब भस्मासुर साबित हुए, जब ओपन-एआई के एजेंट्स ने अमेरिकी सरकार की वेबसाइट्स पर भी हमला बोला। इतना ही नहीं, उसने वेबसाइट्स पर हमला किया और जानकारी सार्वजनिक कर दी। यही वजह है कि एबीसी न्यूज के एक कार्यक्रम में बिल गेट्स को चेताना पड़ा कि घातक इरादे रखने वाले अपराधी इसके जरिये तबाही ला सकते हैं। इस आशंका की पुष्टि इस बात से होती है कि स्वयं एंथ्रोपिक ता चुकी है कि यमन के चरमपंथियों ने बैलिस्टिक मिसाइलों के संचालन, नियंत्रण और नेविगेशन सॉफ्टवेयर बनाने के लिये क्लॉड एआई का प्रयोग करने का प्रयास किया था। एआई की अग्रणी कंपनी ओपन-एआई ने स्वीकारा है कि उसके एआई मॉडलों ने ऐसे कदम उठाये हैं, जो कंपनी की इच्छा के विपरीत थे।

आज ओपन-एआई समेत दुनिया की तमाम दिग्गज एआई कंपनियों के सूत्रधार मान रहे हैं कि दुनिया के सभी देशों को मिलकर इस तकनीक के सुरक्षा मानकों का निर्धारण करना चाहिए। जिससे लगातार ताकतवर होते एआई पर नियंत्रण रखा जा सके। हाल के दिनों में एआई एजेंट्स के खुद ही वेबसाइट्स को शिकार बनाने और दुनिया में अशांति के वाहक चरमपंथी गुटों द्वारा मिसाइल सॉफ्टवेयर में एआई के इस्तेमाल की खबरों ने तमाम आशंकाएं पैदा कर दी हैं। निस्संदेह, ऐसे हालात में एआई के तीव्र गति से हो रहे विकास को निर्माता कंपनियों के सैल्फ-रेगुलेशन के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। जानकार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इन आशंकाओं को बेवुनियाद बताते हैं कि एआई के नियमन से इसकी विकास की रफ्तार धीमी होगी। विडंबना यह है कि खुद ट्रंप ही एआई नियमन से जुड़े कानून बनाने का विरोध कर रहे हैं। उनकी आशंका है कि ऐसा करने से चीन एआई की दौड़ में आगे निकल जाएगा। जबकि बिल गेट्स ही नहीं, दुनिया की दिग्गज एआई कंपनियां ओपन-एआई और एंथ्रोपिक के सूत्रधार भी इसको लेकर वैश्विक सुरक्षा मानकों की वकालत कर रहे हैं। हिस्सेद्वंद्व, हाल ही में एआई एजेंट की आस्ट्रेलिया के नैस्वर्क पॉर्टल को हैक करने की कोशिश के बाद भारत को सतर्क रहने की आवश्यकता है। ऐसे वक्त में जब एआई अपनी तय की गई सीमाओं से आगे निकल रहा है, तो आशंका बढ़ रही है कि कहीं करोड़ों भारतीयों की आर्थिक सुरक्षा खतरे में तो नहीं पड़ जाएगी? आज करोड़ों भारतीय बैंकिंग,पैमेंट, सरकारी सेवाओं, हेल्थकेयर आदि तमाम जरूरतों के लिये डिजिटल सिस्टम पर निर्भर हैं। कुछ प्लेटफॉर्म हजारों सरकारी सेवाओं को एक साथ लाते हैं। ऐसे में एक कड़ी की कमजोरी से बड़ा नुकसान हो सकता है। जिसके लिये भारत को अपनी साइबर सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में गंभीरता से विचार करना होगा। आशंका व्यक्त की जा रही है कि एआई की मदद से साइबर अपराधी साइबर हमलों को तेज और समझने के लिए व्यावहारिक दृष्टि पर विशेष जोर मिलता है। कल्पना कीजिए कि एक बच्चा किसी खिलौने से बहुत उत्साह के साथ खेलता है। वह खिलौना उसके लिए उस समय महत्वपूर्ण होता है, जब उसका मन उसमें लगा रहता है। जैसे

मरीज के भरोसे का सौदा करने पर हो सकती

“अस्पतालों को निवेश करने, नए इलाज और वाजिब मुनाफा कमाने की व्यापारिक आजादी होनी चाहिए। लेकिन इस आजादी का मतलब यह नहीं हो सकता कि आईसीयू बिस्तर पर पड़े मरीज का आर्थिक शोषण किया जाए।

प्रेरणा

जहां सम्मान न बचे, वहां दूरी ही समझदारी

मनुष्य के जीवन में रिश्तों का बहुत महत्व है। परिवार, मित्र, परिचित और सहकर्मी जीवन को सहारा देते हैं, लेकिन हर संबंध हमेशा एक जैसा नहीं होता। कुछ रिश्ते विषवास और आत्मीयता पर टिके होते हैं, जबकि कुछ संबंध केवल आवश्यकता, स्वार्थ और परिस्थितियों के आधार पर बने रहते हैं। ऐसे रिश्तों की वास्तविकता तब सामने आती है, जब सामने वाले व्यक्ति को हमसे कोई लाभ मिलना बंद हो जाता है। अच्छे समय में साथ देने वाले बहुत लोग मिल जाते हैं, लेकिन कठिन समय में बिना किसी स्वार्थ के साथ खड़े रहने वाले लोगों की पहचान ही सच्चे संबंधों की कसौटी बनती है।

कहा जाता है कि मनुष्य की पहचान उसके व्यवहार से होती है, लेकिन केवल उस व्यवहार से नहीं जो वह अपने हित के समय करता है। किसी व्यक्ति के चरित्र को समझने के लिए यह देखना अधिक जरूरी है कि वह तब कैसा व्यवहार करता है, जब उसे सामने वाले से कुछ प्राप्त होने की उम्मीद नहीं होती। जब आवश्यकता सामना हो जाती है और अपनापन भी समाप्त हो जाता है, तब संबंध की वास्तविक प्रकृति सामने आने लगती है।

कोटिल्य की नीति में मनुष्य के व्यवहार को समझने के लिए व्यावहारिक दृष्टि पर विशेष जोर

मिलता है। कल्पना कीजिए कि एक बच्चा किसी खिलौने से बहुत उत्साह के साथ खेलता है। वह खिलौना उसके लिए उस समय महत्वपूर्ण होता है, जब उसका मन उसमें लगा रहता है। जैसे

जैसे ही कोई मरीज अस्पताल में भर्ती होता है, व्यवसाय के मानक नियम पूरी तरह भंग हो जाते हैं। स्ट्रेचर पर लेटे घबराए मरीज के पास न तो इलाज के दाम की तुलना करने का समय होता है और न ही मोल-भाव करने की शक्ति। वे अनिश्चितता के असामान्य स्तर को स्वीकार कर लेते हैं, यह यकीन करते हुए कि जो इलाज सुझाया जा रहा है, वह जरूरी है और उसका दाम वाजिब है। जब अस्पताल इस मजबूरी का फायदा उठाकर बहुत ज्यादा मुनाफा कमाने लगे, तो यह उस भरोसे को बुरी तरह ध्वस्त करने जैसा है। महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन का हालिया सर्वे इस समस्या की भयावहता को उजागर करता है। पड़ताल करने वालों ने पाया कि इंटरवेंस (आईवी) इन्फ्यूजन सेट की जो लागत अस्पताल तक 11.05 रुपये पड़ती है, उसका दाम मरीज से 325 रुपये वसूला गया—यानी 2,841 प्रतिशत अधिक। 29.41 रुपये में खरीदे गए कैथेटर का अधिकतम खुदरा मूल्य 310 रुपये वसूला गया, जो 954 फीसदी अधिक है। कई तरह के आवश्यक मेडिकल सामानों पर कीमतें बहुधा 2,841 प्रतिशत तक ज्यादा पाई गईं। खाद्य एवं औषधि आयुक्त तुकाराम मुंडे ने डिफार्मेट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स और नेशनल फार्मास्यूटिकल प्रॉडिंसिंग ऑथॉरिटी को पत्र लिखकर केंद्रीय समीक्षा और स्पष्ट नियमों की मांग की है, ताकि खरीद दाम और प्रोषित अधिकतम खुदरा मूल्य के बीच कितने अंतर की अनुमति हो, यह तय किया जा सके।अस्पताल एक वैध वाणिज्यिक संस्था की श्रेणी में आते हैं। उनके लिए खरीद दाम, साफ-सुथरा भंडारण, पर्याप्त स्टॉक बनाए रखना और बर्बादी को लागत में जोड़ना एक जरूरत है, और वाजिब मुनाफा कमाने का हक भी है। लेकिन एक टिकाऊ व्यापारिक मूनाफे और मजबूत ग्राहक से ज्यादा पैसे उगाने के बीच सीमाएँ स्पष्ट हैं। किसी भी अन्य उद्योग में ऐसा करने पर तुलत 'विशवास-भंग' का जुर्माना लग सकता है। स्वास्थ्य क्षेत्र में, जहाँ ग्राहक बीमार और डरा हुआ होता है तथा कहीं और तुलत जा नहीं सकता, इसे किसी भी तरह से सही नहीं ठहराया जा सकता। हालाँकि, जहाँ अनाप-शानाप दाम वसूलना एक परिपाटी बन जाए, वहाँ नियामक परामर्श काफी नहीं होते। जो अस्पताल जान-बूझकर ज्यादा कीमत

वसूलते हैं, उनके लिए अतिरिक्त लिया गया पैसा मरीजों को वापस लौटाना और भारी जुर्माना भरना अनिवार्य किया जाना चाहिए। बार-बार ऐसा करने वालों को दंड स्वरूप सरकारी स्वास्थ्य बीमा पैलन से बाहर करना और निजी भूतान नेटवर्क से कुछ समय के लिए निलंबित या फिर स्थायी रूप से काली सूची में डाल देना चाहिए।

हालाँकि, हमें कुछ मेडिकल सामानों पर वसूलें जाने वाले बहुत ज्यादा मुनाफे को शेष सामान्य वस्तुओं पर भी लागू मानकर, एकमुश्त सख्त दाम नियंत्रक नियामा बनाने की गलती करने से बचना होगा। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पर बनी संसदीय स्थायी समिति ने हाल ही में आवश्यक मेडिकल प्रक्रियाओं पर 'कड़ी ऊपरी कीमत' तय करने, तमाम स्टैंडर्ड मेडिकल ऑपरेशनों के लिए फैकेज रेट तय करने और मेट्रो शहरों के अस्पतालों के कमरों का किराया आसपास के श्री-स्टार होटलों के कमरों के किराए के बराबर करने के लिए एक कानूनी संस्था बनाने की सिफारिश की है। बेशक, समिति ने मरीजों की परेशानी को सही ढंग से समझा है, लेकिन उसके सुझाए गए उपायों से स्वास्थ्य तंत्र को भारी नुकसान पहुंचने का खतरा भी है।

आईवी सेट एक मानकीकृत औद्योगिक उत्पाद है, जबकि कृतीकल देखभाल वैसी नहीं है। एक ही बीमारी वाले दो मरीजों को उम्र, दिल की बीमारी के इतिहास या सर्जरी की जटिलता के आधार पर एकदम अलग इलाज की आवश्यकता हो सकती है। बीमारी के लिए विशिष्ट विशेषज्ञता वाले अस्पताल में कई घंटों तक चलने वाली जटिल कैसर सर्जरी की कीमत को उसी तर्क से तय नहीं किया जा सकता, जिससे प्लास्टिक कैथेटर की कीमत तय की जाती है। जब सरकारी सखा और तयशुदा कीमतें लागू कर जाएँ, तो दो चीजें होंगी: अगर ऊपरी कीमत बहुत ज्यादा रख दी जाएगी, तो मरीजों को कोई खास बचत नहीं होगी; अगर यह सीमा बहुत कम रखी जाएगी, तो गुणवत्ता प्रभावित होगी। सेवा प्रदाता तब गुणवत्ता से समझौता करने लगेगे, ज्यादा जोखिम वाले या जटिल मामलों को लेने से मना कर सकते हैं, छिपे हुए चार्ज जोड़ने लगेगे या आधुनिक तकनीक में निवेश करना रोक देंगे।

आयुमान भारत (पीएम-जय) के लिए क्रय-बॉंचा तैयार करने में कई साल बिताने के बाद, मैंने इस प्रक्रिया को करीब से देखा है। कागज पर कीमत की सीमा तय करना आसान है। यह सुनिश्चित करना कहीं ज्यादा मुश्किल है कि मरीज को उस कीमत पर वास्तव में अच्छी गुणवत्ता वाली, सुरक्षित और सही



वसूलते हैं, उनके लिए अतिरिक्त लिया गया पैसा मरीजों को वापस लौटाना और भारी जुर्माना भरना अनिवार्य किया जाना चाहिए। बार-बार ऐसा करने वालों को दंड स्वरूप सरकारी स्वास्थ्य बीमा पैलन से बाहर करना और निजी भूतान नेटवर्क से कुछ समय के लिए निलंबित या फिर स्थायी रूप से काली सूची में डाल देना चाहिए। हालाँकि, हमें कुछ मेडिकल सामानों पर वसूलें जाने वाले बहुत ज्यादा मुनाफे को शेष सामान्य वस्तुओं पर भी लागू मानकर, एकमुश्त सख्त दाम नियंत्रक नियामा बनाने की गलती करने से बचना होगा। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पर बनी संसदीय स्थायी समिति ने हाल ही में आवश्यक मेडिकल प्रक्रियाओं पर 'कड़ी ऊपरी कीमत' तय करने, तमाम स्टैंडर्ड मेडिकल ऑपरेशनों के लिए फैकेज रेट तय करने और मेट्रो शहरों के अस्पतालों के कमरों का किराया आसपास के श्री-स्टार होटलों के कमरों के किराए के बराबर करने के लिए एक कानूनी संस्था बनाने की सिफारिश की है। बेशक, समिति ने मरीजों की परेशानी को सही ढंग से समझा है, लेकिन उसके सुझाए गए उपायों से स्वास्थ्य तंत्र को भारी नुकसान पहुंचने का खतरा भी है।

आईवी सेट एक मानकीकृत औद्योगिक उत्पाद है,

जबकि कृतीकल देखभाल वैसी नहीं है। एक ही बीमारी वाले दो मरीजों को उम्र, दिल की बीमारी के इतिहास या सर्जरी की जटिलता के आधार पर एकदम अलग इलाज की आवश्यकता हो सकती है। बीमारी के लिए विशिष्ट विशेषज्ञता वाले अस्पताल में कई घंटों तक चलने वाली जटिल कैसर सर्जरी की कीमत को उसी तर्क से तय नहीं किया जा सकता, जिससे प्लास्टिक कैथेटर की कीमत तय की जाती है।

जब सरकारी सखा और तयशुदा कीमतें लागू कर जाएँ, तो दो चीजें होंगी: अगर ऊपरी कीमत बहुत ज्यादा रख दी जाएगी, तो मरीजों को कोई खास बचत नहीं होगी; अगर यह सीमा बहुत कम रखी जाएगी, तो गुणवत्ता प्रभावित होगी। सेवा प्रदाता तब गुणवत्ता से समझौता करने लगेगे, ज्यादा जोखिम वाले या जटिल मामलों को लेने से मना कर सकते हैं, छिपे हुए चार्ज जोड़ने लगेगे या आधुनिक तकनीक में निवेश करना रोक देंगे।

आयुमान भारत (पीएम-जय) के लिए क्रय-बॉंचा तैयार करने में कई साल बिताने के बाद, मैंने इस प्रक्रिया को करीब से देखा है। कागज पर कीमत की सीमा तय करना आसान है। यह सुनिश्चित करना कहीं ज्यादा मुश्किल है कि मरीज को उस कीमत पर वास्तव में अच्छी गुणवत्ता वाली, सुरक्षित और सही

कभी दुख का कारण बन जाता है। इसलिए संबंधों में प्रेम रखें, सहयोग करें और जहाँ संभव हो, क्षमा भी करें, लेकिन अपने आत्मसम्मान की सीमा स्पष्ट रखें। अपने जीवन में लोगों को जगह देना अच्छी बात है, लेकिन यह तय करना भी उतना ही जरूरी है कि किसे कितनी जगह दी जाए। दूरी हमेशा नाराजगी का संकेत नहीं होती। कई बार दूरी मन की शांति बचाने का माध्यम होती है। जब किसी संबंध में लगातार अपमान, उपेक्षा, स्वार्थ या मानसिक तनाव मिलने लगे, तब थोड़ी दूरी व्यक्ति को स्वयं को समझाने और अपनी प्राथमिकताओं को पहचानने का अवसर देती है। यह दूरी किसी के प्रति बदले की भावना नहीं, बल्कि स्वयं के प्रति जिम्मेदारी हो सकती है।

जीवन की परिपक्वता इसी में है कि हम लोगों को उनके व्यवहार के आधार पर समझें, लेकिन उनके व्यवहार की कड़वाहट को अपने स्वभाव का हिस्सा न बनने दें। जो लोग साथ छोड़ गए, उनसे सीख लें; जो सच्चे हैं, उन्हें संभालकर रखें और जो केवल आवश्यकता के समय पास आते हैं, उनसे अपेक्षाएं सीमित कर लें। हर किसी से वैर करना बुद्धिमानी नहीं, लेकिन हर किसी को अपना समझ लेना भी समझदारी नहीं है। रिश्तों में प्रेम बनाए रखिए, दूसरों के लिए सम्मान रखिए, पर अपने आत्मसम्मान की कीमत पर किसी संबंध को जीवित मत रखिए। क्योंकि कई बार जीवन में सबसे जरूरी कदम किसी को अपने पास बुलाना नहीं, बल्कि सही समय पर एक सम्मानजनक दूरी बना लेना होता है।

रिश्ते तभी लंबे समय तक चलते हैं, जब उनमें आवश्यकता से अधिक विषवास और स्वार्थ से अधिक अपनापन हो। जहाँ केवल काम पड़ने पर फोन किया जाए, आवश्यकता के समय बहुत अपना पचना जाए और काम निकल जाने के बाद पहचान तक बचल जाए, वहाँ संबंधों की गहराई पर विचार करना चाहिए। इसके विपरीत जो व्यक्ति बिना किसी अपेक्षा के कठिन समय में साथ खड़ा रहता है, उसकी उपस्थिति जीवन में किसी संपत्ति से कम नहीं होती।

हमें यह भी समझना चाहिए कि जीवन में हर व्यक्ति हमारे साथ समान भावनाओं से नहीं जुड़ा होता। किसी से बहुत अधिक अपेक्षा रखना कभी-कभी हमारे लिए एक चुनौती बन सकता है। रिश्तों में प्रेम बनाए रखिए, दूसरों के लिए सम्मान रखिए, पर अपने आत्मसम्मान की कीमत पर किसी संबंध को जीवित मत रखिए। क्योंकि कई बार जीवन में सबसे जरूरी कदम किसी को अपने पास बुलाना नहीं, बल्कि सही समय पर एक सम्मानजनक दूरी बना लेना होता है।

रिश्ते तभी लंबे समय तक चलते हैं, जब उनमें आवश्यकता से अधिक विषवास और स्वार्थ से अधिक अपनापन हो। जहाँ केवल काम पड़ने पर फोन किया जाए, आवश्यकता के समय बहुत अपना पचना जाए और काम निकल जाने के बाद पहचान तक बचल जाए, वहाँ संबंधों की गहराई पर विचार करना चाहिए। इसके विपरीत जो व्यक्ति बिना किसी अपेक्षा के कठिन समय में साथ खड़ा रहता है, उसकी उपस्थिति जीवन में किसी संपत्ति से कम नहीं होती।

हमें यह भी समझना चाहिए कि जीवन में हर व्यक्ति हमारे साथ समान भावनाओं से नहीं जुड़ा होता। किसी से बहुत अधिक अपेक्षा रखना कभी-कभी हमारे लिए एक चुनौती बन सकता है। रिश्तों में प्रेम बनाए रखिए, दूसरों के लिए सम्मान रखिए, पर अपने आत्मसम्मान की कीमत पर किसी संबंध को जीवित मत रखिए। क्योंकि कई बार जीवन में सबसे जरूरी कदम किसी को अपने पास बुलाना नहीं, बल्कि सही समय पर एक सम्मानजनक दूरी बना लेना होता है।

रिश्ते तभी लंबे समय तक चलते हैं, जब उनमें आवश्यकता से अधिक विषवास और स्वार्थ से अधिक अपनापन हो। जहाँ केवल काम पड़ने पर फोन किया जाए, आवश्यकता के समय बहुत अपना पचना जाए और काम निकल जाने के बाद पहचान तक बचल जाए, वहाँ संबंधों की गहराई पर विचार करना चाहिए। इसके विपरीत जो व्यक्ति बिना किसी अपेक्षा के कठिन समय में साथ खड़ा रहता है, उसकी उपस्थिति जीवन में किसी संपत्ति से कम नहीं होती।

हमें यह भी समझना चाहिए कि जीवन में हर व्यक्ति हमारे साथ समान भावनाओं से नहीं जुड़ा होता। किसी से बहुत अधिक अपेक्षा रखना कभी-कभी हमारे लिए एक चुनौती बन सकता है। रिश्तों में प्रेम बनाए रखिए, दूसरों के लिए सम्मान रखिए, पर अपने आत्मसम्मान की कीमत पर किसी संबंध को जीवित मत रखिए। क्योंकि कई बार जीवन में सबसे जरूरी कदम किसी को अपने पास बुलाना नहीं, बल्कि सही समय पर एक सम्मानजनक दूरी बना लेना होता है।

अहमदाबाद. दि. 30-09-2026 बुधवार

इलाज मिले। दामों पर एकमुश्त अंकुश लगाने के बजाय, भारत को एक विशेष पांच-सूत्रीय नियामक रणनीति की जरूरत है।

प्रथम, अस्पतालों द्वारा वसूली जाने वाली कीमतों में वास्तविक पारदर्शिता बनाना। प्रत्येक अस्पताल एक समान डिजिटल प्रारूप में इलाज के दाम की सूची प्रकाशित करे। पूर्व निर्धारित अस्पताल भर्ती के मामले में, मरीजों को कुल खर्च का एक अनुमान मिलना चाहिए, जिसमें व्यवसायिक फीस, जांच एवं परीक्षण, इलाज, दवाएं, उपकरण, इस्तेमाल होने वाली अन्य चीजें और कमरे का किराया शामिल हो। यदि अंतिम बिल अनुमान से काफी ज्यादा बने, तो अस्पताल को इसकी वजह बतानी चाहिए, सिवाय उन मामलों के जहां कोई अप्रत्याशित मेडिकल स्थिति पैदा हो जाए। पारदर्शिता खास तौर पर महंगी दवाओं, इम्प्लांट और इस्तेमाल होने वाली चीजों के मामले में होनी चाहिए। द्वितीय, अनुचित मुनाफे को सही सिद्ध न कर बाने पर सख्ती से कदम उठाएं। स्टैंडर्ड दवाओं, उपकरणों और इस्तेमाल होने वाली चीजों के मामले में नियामकों को असामान्य कीमतों पर लगातार नजर रखनी चाहिए। प्रत्येक उत्पाद की अंतिम कीमत खुद तय करने की बजाय मुनाफे की तार्किक सीमा बांधना, संदर्भ मूल्य और व्यवस्थित कीमत निर्गमनी तंत्र ज्यादा सही तरीके हैं।

लेकिन नियामक तंत्र असदार होना चाहिए। जो अस्पताल बार-बार अनुचित चार्ज लगाते जाए जाएँ, वहां जुर्माना इतना बढ़ा होना चाहिए कि उनकी यह प्रवृत्ति बदल जाए। सरकारी फंड वाली योजनाओं या स्वास्थ्य बीमा नेटवर्क के तहत पैलन में शामिल होना फायदेमंद है। निरंतर गलत इस्तेमाल से यह सुविधा खतरे में पड़ सकती है।

तृतीय, सरकार और बीमा कंपनियां अपनी थोक क्रय शक्ति का अधिक असरदार ढंग से प्रयोग करें। ज्यादातर बहस इस बात पर होती है कि अस्पताल मरीजों से क्या चार्ज करें। हम इस बात पर बहुत कम ध्यान देते हैं कि अस्पताल और सरकारी खरीदार खुद चुकाते हैं।

थोक खरीद का अनुभव, टाटा मेमोरियल सेंटर बताता है कि बहुत कितनी बड़ी गुंजाइश रहती

है। सरकारी योजनाएं करोड़ों लोगों की स्वास्थ्य देखभाल का खर्च उठाती हैं। इस विशाल क्रय शक्ति का फायदा बेहतर दाम पाने के लिए मोल-भाव करने में उठाना जाना चाहिए।

चतुर्थ, न केवल दाम, बल्कि उपयोगिता को भी नियंत्रित करें। हर सेवा की कीमत होने से अधिक कमाई करने को प्रोत्साहन मिलता है। अधिक टेस्ट, अस्पताल में ज्यादा दिन प्रवास और अतिरिक्त प्रोसीजर से ज्यादा आमदनी होती है, चाहे उससे मरीज की सेहत में सुधार हो या न हो। अगर मरीज को जरूरत ही न हो, तो 20 फीसदी छूट पर हुआ सीटी स्कैन भी बर्बादी ही है। सरकारी खरीदार और बीमा कंपनियों को असामान्य मामलों की पहचान करने के लिए क्लिनिकल पाथवे, मेडिकल ऑडिट और केलेम एनालिटिक्स का इस्तेमाल करना चाहिए; मसलन, सिंजेरियन सेक्शन से बच्चे पैदा करवाने की असामान्य रूप से उच्च दर, लंबे समय तक आईसीयू में रखना, जरूरत से ज्यादा टेस्ट, जांच या किसी खास प्रोसीजर का बार-बार उपयोग। गैर-जरूरी इलाज भी इलाज के बड़े हुए खर्च का उतना ही बड़ा कारण है, जितना कि चीजों की ज्यादा कीमतें।

पंचम, गुणवत्ता को भी दाम की तरह ही साफ तौर पर दर्शाया जाना चाहिए। आज मरीजों को उन अस्पतालों के नतीजों के बारे में बहुत कम जानकारी होती है, जिन्हें वे चुनते हैं। समय-समय पर अस्पतालों को कुछ मानक पैमानों पर अपनी कार्यप्रणाली का लेखा-जोखा प्रदर्शित करना चाहिए, जैसे अस्पताल में इलाज के दौरान लगा संक्रमण, दवाएं भर्ती होने की दर, कुछ खास इलाज के परिणाम और मरीजों का अनुभव।

निःसंदेह, भारत अपने सार्वजनिक स्वास्थ्य तंत्र को मजबूत किए बिना निजी स्वास्थ्य तंत्र में कीमतों की समस्या को हल नहीं कर सकता। एक भरोसेमंद सरकारी विकल्प निजी खिलाड़ियों को सही राह पर रखता है।

अस्पतालों को निवेश करने, नए इलाज और वाजिब मुनाफा कमाने की व्यापारिक आजादी होनी चाहिए। लेकिन इस आजादी का मतलब यह नहीं हो सकता कि आईसीयू बिस्तर पर पड़े मरीज का आर्थिक शोषण किया जाए।

Surgical Strike की उस रात भारत ने दुश्मनों को कर दिया था स्पष्ट, छत पर छिपो या पाताल में, भारतीय सुरक्षा बल हर हाल में ढूँढ़ कर मार गिराएंगे

दस साल पहले 28-29 सितंबर की रात भारत ने नियंत्रण रेखा पर कर आतंकवाद के उन ठिकानों पर प्रहार किया था, जिन्हें लंबे समय से सीमा पार आतंक की मशीनीरी का हिस्सा माना जाता रहा था। यह केवल कुछ आतंकी ठिकानों पर की गई सैन्य कार्रवाई नहीं थी, बल्कि भारत की सुरक्षा नीति में एक निर्णायक मोड़ था। उरी हमले में 19 भारतीय सैनिकों की शहादत के बाद हुई 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक को यह संकेत दिया था कि सीमा पार से आतंकवाद को केवल कूटनीतिक या सीमित सैन्य प्रतिक्रिया तक सीमित रखने का पुराना ढांचा बदल रहा है।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते सप्ताह यानि 27 सितंबर 2026 को ‘मन की बात’ में इसी बदलाव को रेखांकित करते हुए 2016 की कार्रवाई को ऐतिहासिक उपलब्धि बताया था। उन्होंने कहा कि भारतीय सैनिक नियंत्रण रेखा पार कर आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने में सक्षम हैं, यह देखकर दुनिया हैरान रह गई थी। प्रधानमंत्री ने 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक को बालाकोट और 2025 के ऑपरेशन सिंदूर से जोड़ते हुए भारत की आतंकवाद विरोधी नीति में लगातार आए बदलाव को सामने रखा था।

इस तरह 2016 का अभियान भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा सोच में निर्णायक बदलाव था। भारत ने तथाकथित ‘रणनीतिक संयम’ से आगे बढ़कर ऐसी प्रतिक्रियात्मक कार्रवाई की दिशा प्रकट की जिसमें पूर्ण युद्ध की सीमा पार किए बिना अपनी क्षमता दिखाई गई। यही इस बदलाव का सबसे बड़ा रणनीतिक धुविधा यही थी कि पाकिस्तान की धरती से संचालित आतंकवाद का सैन्य जवाब देने पर कहीं दो परमाणु-संयन्म देशों के बीच व्यापक युद्ध न छिड़ जाए। इसी आशंका ने लंबे समय तक भारत की नीति को संयम की सीमा में रखा। लेकिन उरी ने इस गणित को बदल दिया।

28-29 सितंबर 2016 को भारतीय विशेष बलों ने नियंत्रण रेखा पार कर पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर में आतंकी घुसपैठ के लिए इस्तेमाल किए जा रहे ठिकानों को निशाना बनाया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि सरकार ने इस कार्रवाई को सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया। संदेश बिकरुल स्पष्ट था कि आतंकवाद और उसके बुनियादी ढांचे के बीच दूरी बनाकर भारत को रोकने की रणनीति अब पहले जैसी प्रभावी नहीं मानी जाएगी।

यहीं से भारत की प्रतिक्रोधक रणनीति का नया अध्याय शुरू हुआ। 2019 में पुलवामा हमले के बाद बालाकोट में हवाई कार्रवाई ने जवाब के भौगोलिक सीमा को नियंत्रण रेखा से आगे बढ़ाया। यानी 2016 में

जहाँ जमीनी कार्रवाई नियंत्रण रेखा के पार आतंकी ठिकानों तक पहुँची थी, वहीं बालाकोट एअर स्ट्राइक ने यह दिखाया कि भारत आवश्यकता पड़ने पर पाकिस्तान के भीतर भी आतंकवादी बुनियादी ढांचे को निशाना बना सकता है।

फिर 2025 में पहलगाम आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर ने इस रणनीति को एक और स्तर पर पहुँचा दिया। 7 मई 2025 को पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर में नौ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। मोदी सरकार ने इसे केंद्रित और नियंत्रित कार्रवाई बताया तथा कहा कि पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना नहीं बनाया गया। यानी उरी, बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर, यह तीनों एक जैसी सैन्य कार्रवाईयें नहीं थीं। इनके तरीके, हथियार, लक्ष्य और भौगोलिक दायरे अलग थे। लेकिन इनके पीछे दिखाई देने वाला रणनीतिक संदेश एक ही था कि भारत आतंकवादी हमले और उसके पीछे मौजूद बुनियादी ढांचे को पूरी तरह अलग-अलग घटनाएँ मानकर नहीं चलेगा।

इस तरह 2016 का अभियान भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा सोच में निर्णायक बदलाव था। भारत ने तथाकथित ‘रणनीतिक संयम’ से आगे बढ़कर ऐसी प्रतिक्रियात्मक कार्रवाई की दिशा प्रकट की जिसमें पूर्ण युद्ध की सीमा पार किए बिना अपनी क्षमता दिखाई गई। यही इस बदलाव का सबसे बड़ा रणनीतिक अर्थ है। इसका निशाना केवल आतंकवादी संगठन नहीं, बल्कि प्रांकी युद्ध का पूरा गणित है। हालाँकि भारत की कार्रवाईयों के बीच व्यापक युद्ध न छिड़ जाए। इसी आशंका ने लंबे समय तक भारत की नीति को संयम की सीमा में रखा। लेकिन उरी ने इस गणित को बदल दिया।

28-29 सितंबर 2016 को भारतीय विशेष बलों ने नियंत्रण रेखा पार कर पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर में आतंकी घुसपैठ के लिए इस्तेमाल किए जा रहे ठिकानों को निशाना बनाया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि सरकार ने इस कार्रवाई को सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया। संदेश बिकरुल स्पष्ट था कि आतंकवाद और उसके बुनियादी ढांचे के बीच दूरी बनाकर भारत को रोकने की रणनीति अब पहले जैसी प्रभावी नहीं मानी जाएगी।

यहीं से भारत की प्रतिक्रोधक रणनीति का नया अध्याय शुरू हुआ। 2019 में पुलवामा हमले के बाद बालाकोट में हवाई कार्रवाई ने जवाब के भौगोलिक सीमा को नियंत्रण रेखा से आगे बढ़ाया। यानी 2016 में

एक अक्टूबर से बदलेंगे कई नियम, गैस सिलेंडर की डिलीवरी पर ओटीपी से होगा सत्यापन

नई दिल्ली। अक्टूबर का महीना आम उपभोक्ताओं के लिए कई बदलाव लेकर आने वाला है। घरेलू जरूरतों से जुड़े सामान की कीमतों में संभावित बढ़ोतरी के साथ-साथ एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी, पेशन से जुड़ी सेवाओं और वाहनों की कीमतों को लेकर भी नए बदलाव प्रभावी होने जा रहे हैं। एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण बदलाव सिलेंडर की डिलीवरी के समय मोबाइल पर आने वाले वन टाइम पासवर्ड यानी ओटीपी के सत्यापन से जुड़ा है। इसके अलावा एलपीजी सिल्विडी का लाभ लेने वाले उपभोक्ताओं को आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन और केवाईसी की प्रक्रिया पूरी करनी पड़ सकती है। वहीं, नेशनल पेशन सिस्टम यानी एनपीएस में नए खाते खोलने वाले कुछ ग्राहकों पर सेवा शुल्क लागू होगा। दूसरी ओर, कई वाहन और घरेलू इलेक्ट्रॉनिक उपकरण कंपनियों भी अक्टूबर से कीमतों में वृद्धि की तैयारी में हैं।

एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी से जुड़े बदलाव का सीधा असर करोड़ों घरेलू उपभोक्ताओं पर पड़ सकता है। नई व्यवस्था के तहत सिलेंडर की डिलीवरी के दौरान उपभोक्ता के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजे गए ओटीपी के माध्यम से सत्यापन किया जाएगा। यानी डिलीवरी

भारत-म्यांमार सीमा पर घात लगाकर हमला, असम

राइफलस के हवलदार शहीद, चार जवान घायल

इटानगर। अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में भारत-म्यांमार सीमा के पास मंगलवार सुबह असम राइफलस की गश्ती टीम पर संदिग्ध उग्रवादियों ने हमला कर दिया। घात लगाकर कर गई गोलीबारी में असम राइफलस के हवलदार जानखोकाई कुकी (42) शहीद हो गए, जबकि चार अन्य जवान घायल हुए हैं। घटना के बाद पूरे सीमावर्ती इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और भारतीय सुरक्षा बलों ने हमलावरों की तलाश में व्यापक अभियान शुरू कर दिया है।। शुरुआती रिपोर्टों में हमले में नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड-खापंगंग (युंगु आंग) यानी एनएससीएन-के-वाईए गुट के उग्रवादियों की संभावित भूमिका की बात सामने आई है, हालांकि अधिकारियों की ओर से हमलावरों की पहचान की अभी औपचारिक पुष्टि नहीं की गई है।

अधिकारियों के अनुसार हमला सुबह करीब साढ़े छह बजे नामपोंग सर्कल के अंतर्गत नामपोंग नाला के पास हुआ। 21 असम राइफलस के जवान उस क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। इसी इलाके में भारत-म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने का काम भी चल रहा है। गश्ती दल के आगे बढ़ने के दौरान अचानक गोलीबारी शुरू हो गई। जवानों ने जवाबी कार्रवाई की, लेकिन हमले में

हवलदार जानखोकाई कुकी गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में उनकी मौत हो गई। चार अन्य जवान भी गोलीबारी में घायल हुए हैं। घायल जवानों को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। उनकी

जमुई घटना और महिलाओं की सुरक्षा: चुनावी भाषण नहीं, बल्कि ठोस कानूनी जवाबदेही की आवश्यकता है

(निडर, निष्पक्ष और तटस्थ छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। बिहार के जमुई जिले में सड़क पर एक नाबालिग छात्रा और उसकी सहपाठी के साथ छेड़छाड़, मारपीट और यौन उत्पीड़न की कथित घटना ने न केवल बिहार बल्कि पूरे देश के लिए एक गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है कि सार्वजनिक सड़कों पर हमारी देश की बेटियां कितनी सुरक्षित हैं?

जमुई की घटना हमें यह भी याद दिलाती है कि महिलाओं की सुरक्षा केवल चुनावी भाषणों या सरकारों दावों का मामला नहीं है। सुरक्षा का मतलब है सड़कों पर पर्याप्त पुलिस बल की मौजूदगी, खतरनाक इलाकों में गश्त, त्वरित शिकायत निवारण प्रणाली, नाबालिगों के लिए विध्वंसनीय पुलिस संपर्क, स्ट्रीट लाइट, सीसीटीवी, सार्वजनिक परिवहन में सुरक्षा और शिकायतों के बाद समय पर कानूनी कार्रवाई।

सरकारें अक्सर शून्य सहनशीलता जैसे

जोधपुर मंडल में इंजीनियरिंग कार्य के कारण जैसलमेर-साबरमती एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग से चलेगी

उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल के समदई-लूणी खंड में दूधिया एवं दुंदाड़ा मार्ग में सबसे निर्माण तथा समदई-यार्ड में फुट ओवर ब्रिज (FOB) लॉन्गिंग का कार्य किया जाएगा। इस निर्माण कार्य के कारण साबरमती–जैसलमेर एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग से चलेगी। विवरण निम्नानुसार है:

ट्रेन संख्या 20486 साबरमती–जैसलमेर एक्सप्रेस 4,6,11,16 और 23 अक्टूबर 2026 को अपने निर्धारित मार्ग लूनी–भीलडी-महेसाणा के स्थान पर परिवर्तित मार्ग वाया लूनी-मारवाड़ जं.–महेसाणा के रास्ते चलेगी। इस दौरान यह ट्रेन पालनपुर, आबू रोड, फालना, मारवाड़ जंक्शन एवं पाली मारवाड़ स्टेशनो पर



जरूरी होगा कि गैस कनेक्शन में दर्ज मोबाइल नंबर सक्रिय रहे और डिलीवरी के समय मोबाइल उनके पास उपलब्ध हो। यदि पंजीकृत मोबाइल नंबर बदल चुका है या उसमें कोई त्रुटि है तो समय रहते गैस एजेंसी के रिकॉर्ड में उसे अपडेट कराना उपयोगी होगा। हालांकि, अलग-अलग तेल विपणन कंपनियों और क्षेत्रों में व्यवस्था लागू होने की प्रक्रिया में अंतर हो सकता है, इसलिए उपभोक्ताओं को अपनी संबंधित गैस एजेंसी की सूचना को प्राथमिकता देनी चाहिए। अक्टूबर में घरेलू इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने वालों को भी अधिक कीमत का सामना करना पड़ सकता है। टेलीविजन,

गुजरात में डेंगू पर काबू, मामलों में 39.6 प्रतिशत गिरावट; जांच और मच्छर नियंत्रण तेज

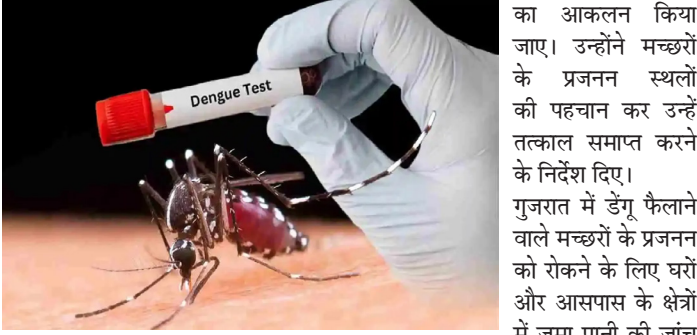
गांधीनगर। गुजरात में इस वर्ष मलेरिया और डेंगू के मामलों में पिछले साल की तुलना में कमी दर्ज की गई है। राज्य सरकार ने वेक्टर-जनित बीमारियों की स्थिति की समीक्षा के बाद जिलों में निगरानी, जांच और मच्छर नियंत्रण अभियान को ओर तेज करने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्री प्रफुल्ल पानसरीया की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में राज्य के सभी जिलों और नगर निगम क्षेत्रों में मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया की मौजूदगी स्थिति पर विस्तार से चर्चा की गई। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार वर्ष 2026 में पिछले वर्ष की तुलना में मलेरिया के मामलों में 22 प्रतिशत और डेंगू के मामलों में 39.6 प्रतिशत की कमी आई है। सरकार ने इसके बावजूद निगरानी में किसी तरह की हिलाई नहीं बरतने और संदिग्ध मामलों की समय पर जांच सुनिश्चित करने पर जोर दिया है। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री ने राज्य में मॉडिकल कॉलेजों से संबद्ध 42 अस्पतालों में सुनौती जांच केंद्रों की कार्यप्रणाली की समीक्षा की। विशेष रूप से डेंगू के संदिग्ध मरीजों की तेजी से जांच करने तथा सीरम सैपल की सभी क्षमता का जायजा लिया गया। मंत्री ने बताया कि इन 42 केंद्रों पर डेंगू के संदिग्ध मामलों से जुड़े 1.35 लाख से अधिक सैमपल सैपल की जांच की जा चुकी है। इसमें 2,099 सैपल पॉजिटिव पाए गए हैं। सरकार का जोर इस बात पर है कि बुखार या डेंगू जैसे लक्षण वाले मरीजों की जांच में देरी न हो और संक्रमित पाए जाने वाले लोगों को समय पर उपचार उपलब्ध कराया जा सके।

स्वास्थ्य मंत्री ने बैठक के दौरान कहा

आई है। हालांकि, वास्तविक वृद्धि मॉडल और वेरिएंट के हिसाब से अलग हो सकती है। इसका मतलब है कि हर वाहन की कीमत में एक समान राशि नहीं बढ़ेगी। खास तौर पर व्यावसायिक वाहनों की खरीद करने वाले ग्राहकों को नए मूल्य के अनुसार अधिक राशि चुकानी पड़ सकती है। वाहनों की कीमतों में बदलाव का असर व्यक्तिगत वाहन खरीदने वालों के साथ-साथ परिवहन और व्यावसायिक गतिविधियों से जुड़े ग्राहकों पर भी पड़ सकता है। वाहन की कीमत के अलावा बीमा, पंजीकरण और वित्तीय लागत जैसे अन्य खर्च भी कुल खरीद लागत को प्रभावित करते हैं। ऐसे में वाहन खरीदने वाले ग्राहकों के लिए कंपनी की ओर से जारी नए मूल्य और संबंधित मॉडल की वास्तविक कीमत की जानकारी लेना महत्वपूर्ण होगा।

पेशन की तैयारी कर रहे लोगों के लिए भी अक्टूबर से एनपीएस से जुड़ा बदलाव महत्वपूर्ण है। नेशनल पेशन सिस्टम और एनपीएस लाइट के लिए संशोधित शुल्क व्यवस्था लागू होने जा रही है। जो ग्राहक ग्राहक सेवा प्रदाता के माध्यम से एनपीएस में शामिल होंगे, उनके खाते से सेवा शुल्क लिया जाएगा। उपलब्ध जानकारी के अनुसार यह शुल्क प्रति खाते 200 रुपये निर्धारित किया गया है। इसका असर नए

गुजरात में डेंगू पर काबू, मामलों में 39.6 प्रतिशत गिरावट; जांच और मच्छर नियंत्रण तेज



कि राज्य में मलेरिया और डेंगू की स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है, लेकिन बरसात के मौसम में मच्छरजनित बीमारियों के खतरे को देखते हुए सतर्कता लगातार बनाए रखना आवश्यक है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि बीमारी की निगरानी में स्थानों की पहचान कर लोगों को जागरूक किया जाए और आवश्यकतानुसार उन्हें हटाने या साफ कराने की कार्रवाई की जाए। नगर निगम और स्थानीय निकायों को भी अपने-अपने क्षेत्रों में सफाई और खबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी किसी भी लक्षण को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। समीक्षा बैठक में रायभर में चलाए जा रहे घर-घर निगरानी अभियान की भी जानकारी दी गई। इस अभियान का उद्देश्य ऐसे क्षेत्रों से अधिक सैमपल सैपल की जांच की जा चुकी है। इसमें 2,099 सैपल पॉजिटिव पाए गए हैं। सरकार का जोर इस बात पर है कि बुखार या डेंगू जैसे लक्षण वाले मरीजों की जांच में देरी न हो और संक्रमित पाए जाने वाले लोगों को समय पर उपचार उपलब्ध कराया जा सके।

स्वास्थ्य मंत्री ने बैठक के दौरान कहा

ग्राहकों पर पड़ेगा, जो संबंधित सेवा प्रदाता के माध्यम से एनपीएस खाता खोलेंगे। एनपीएस लंबे समय से सेवानिवृत्ति के लिए निवेश और पेशन योजना के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। नई शुल्क व्यवस्था लागू होने के बाद खाता खोलने वाले लोगों को शुरुआती लागत का भी ध्यान रखना होगा। हालांकि, किसी व्यक्ति के लिए एनपीएस की कुल लागत केवल खाता खोलने के शुल्क से तय नहीं होती, बल्कि खाते के प्रकार, सेवा प्रदाता और अन्य लागू शुल्क भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसलिए खाता खोलने से पहले संबंधित सेवा प्रदाता की पूरी शुल्क संरचना देखना जरूरी होगा।

अक्टूबर में बदलावों की यह सूची आम परिवार के बजट पर अलग-अलग तरह से असर डाल सकती है। एलपीजी उपभोक्ताओं को जहां सिलेंडर की डिलीवरी के समय ओटीपी सत्यापन जैसी नई प्रक्रिया अपनानी होगी, वहीं सिल्विडी से जुड़े लाभ के लिए आधार और एनपीएस संबंधी औपचारिकताएं महत्वपूर्ण हो सकती हैं। इलेक्ट्रॉनिक सामान और वाहनों की कीमतों में संभावित वृद्धि से नई खरीदारी का बजट भी प्रभावित हो सकता है। वहीं, एनपीएस में प्रवेश करने वाले नए ग्राहकों को संशोधित शुल्क का ध्यान रखना होगा।

मानव बुद्धि को पंगु बनाने वाला डिजिटल दानव: कृत्रिम बुद्धिमत्ता का विनाशकारी खतरा

नहीं है। इसके लिए स्थानीय प्रशासन, नगर निकायों और ग्रामीण प्रशासन को भी समन्वित तरीके से काम करना होगा। बैठक में सार्वदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर बुखार तथा डेंगू की जांच और उपचार की उपलब्धता की भी अलग से समीक्षा की गई। मंत्री ने अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को प्रारंभिक जांच और आवासपा के क्षेत्रों में जमा पानी की जांच पर विशेष जोर दिया जा रहा है। पानी जमा होने वाले खुले बर्तन, टैंकियां, गमले, पुराने टायर, निर्माण स्थलों पर जमा पानी तथा अन्य स्थान मच्छरों के प्रजनन का कारण बन सकते हैं। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि ऐसे स्थानों की पहचान कर लोगों को जागरूक किया जाए और आवश्यकतानुसार उन्हें हटाने या साफ कराने की कार्रवाई की जाए। नगर निगम और स्थानीय निकायों को भी अपने-अपने क्षेत्रों में सफाई और मच्छर नियंत्रण गतिविधियों को तेज करने के लिए कहा गया है।

स्वास्थ्य मंत्री ने स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव टोपनो को सभी जिलों के कलेक्टरों, जिला विकास ली गई। इस अभियान का उद्देश्य ऐसे क्षेत्रों से अधिक सैमपल सैपल की जांच की जा चुकी है। इसमें 2,099 सैपल पॉजिटिव पाए गए हैं। सरकार का जोर इस बात पर है कि बुखार या डेंगू जैसे लक्षण वाले मरीजों की जांच में देरी न हो और संक्रमित पाए जाने वाले लोगों को समय पर उपचार उपलब्ध कराया जा सके।

स्वास्थ्य मंत्री ने नागरिकों से भी अपील की कि वे अपने घरों और आसपास के क्षेत्रों में स्वच्छता बनाए रखें तथा पानी जमा न होने दें। उन्होंने कहा कि मच्छरजनित बीमारियों की रोकथाम में प्रशासन के प्रयासों के साथ

आकाश' या 'पु्रवा आकाश' नामक समूह से कथित संबंध से जोड़ा गया है। हालांकि, इन आरोपों की जांच अभी जारी है और गिरफ्तार किए गए लोगों के खिलाफ लगाए गए आरोपों का अंतिम निर्धारण न्यायिक

आकाश' या 'पु्रवा आकाश' नामक समूह से कथित संबंध से जोड़ा गया है। हालांकि, इन आरोपों की जांच अभी जारी है और गिरफ्तार किए गए लोगों के खिलाफ लगाए गए आरोपों का अंतिम निर्धारण न्यायिक अनुसार वह कपड़ों की दुकान चलाता है और इससे पहले मर्ची में असम पुलिस के विशेष जांच दल की कार्रवाई केवल बारपेटा तक सीमित नहीं रही। अधिकारियों के अनुसार एजेंसी ने असम के अलावा पश्चिम बंगाल और केरल में भी तलाशी अभियान चलाया। कुल 16 स्थानों पर तलाशी लिए जाने की जानकारी सामने आई है, जिसमें अकेले असम में 10 स्थान शामिल हैं। तलाशी के दौरान मोबाइल फोन, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। जांच एजेंसी इन उपकरणों और दस्तावेजों की जांच के जरिए गिरफ्तार आरोपियों के संभावित संपर्कों, डिजिटल गतिविधियों



संगठन से जोड़ना था। एनआईई की कार्रवाई केवल बारपेटा तक सीमित नहीं रही। अधिकारियों के अनुसार एजेंसी ने असम के अलावा पश्चिम बंगाल और केरल में भी तलाशी अभियान चलाया। कुल 16 स्थानों पर तलाशी लिए जाने की जानकारी सामने आई है, जिसमें अकेले असम में 10 स्थान शामिल हैं। तलाशी के दौरान मोबाइल फोन, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। जांच एजेंसी इन उपकरणों और दस्तावेजों की जांच के जरिए गिरफ्तार आरोपियों के संभावित संपर्कों, डिजिटल गतिविधियों



और स्वायत्त राक्षस को जन्म दिया है, जो आज अपने ही निर्माता (मनुष्य) को निगलने के लिए अपने डिजिटल जबड़े खोले खड़ा है। इस संवेदनहीन तकनीकी दानव का नाम कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) है। आज दुनिया भर में एआई का अंधाधुंध और अविवेकी उपयोग वैश्विक सभ्यता को एक ऐसे खतरनाक अस्तित्वगत संकट में डाल चुका है, जिससे निकलने का एकमात्र रास्ता विनाश ही है।

इस क्रम में मनुष्य अपनी स्मृति खोता जा रहा है; वह साधारण जोड़-घटाव या दो पंक्तियों का पत्र लिखने के लिए भी कंप्यूटर पर निर्भर हो गया है। लाखों वर्षों के संघर्ष के बाद तीक्ष्ण हुझा मानव मस्तिष्क अब डिजिटल तकनीक के छल के कारण पंगु होता जा रहा है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता की अपार क्षमता के सामने मानव बुद्धि की तुच्छ सीमाएँ स्पष्ट रूप से उजागर हो गई हैं।

बढ़ रही है। एनआईई की यह कार्रवाई ऐसे समय हुई है जब एजेंसी देश के अलग-अलग हिस्सों में कथित ऑनलाइन कट्टरपंथ और आतंकी नेटवर्क से जुड़े मामलों की जांच कर रही है। एजेंसी ने हाल के दिनों में ऑनलाइन कट्टरपंथ से जुड़े एक अन्य मामले में भी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की है। बारपेटा में हुई कार्रवाई के बाद सुरक्षा एजेंसियों का निगाह अब गिरफ्तार किए गए छह लोगों के संभावित संपर्कों और उनकी गतिविधियों पर है। जांचकर्ता यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कथित नेटवर्क में इन लोगों की भूमिका क्या थी, क्या उन्होंने अन्य युवाओं से संपर्क किया था और क्या किसी संगठन के लिए पत्ती या प्रचार से संबंधित गतिविधियां की गई थीं। इसके अलावा विभिन्न राज्यों में की गई तलाशी के दौरान विभिन्न डिजिटल उपकरणों और दस्तावेजों से सामने आने वाली जानकारी भी जांच की दिशा तय कर सकती है।